

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला-दुर्ग

// आदेश //

दुर्ग, दिनांक 10/06/2026

कमांक 808/भू.अभि./अवैध प्ला./2026, न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला दुर्ग से वैशाली नगर विधानसभा अंतर्गत स्थित खसरा में अवैध प्लॉटिंग कर छोटे-छोटे टुकड़ों में विक्रय किये जाने संबंधी अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसकी सूची निम्नानुसार है :-

क्र.	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम का नाम	प्लॉटिंग खसरा नंबर	रकबा (हे० में)	भूमिस्वामी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	46	कुरुद	1504/02	0.0065	गोपाल कृष्ण साहू पिता राम विलास साहू
2.			1504/05	0.1193	गोपाल कृष्ण साहू पिता राम विलास साहू
3.			1512/02	0.0627	सुशांत दुखहरण सिंह पिता दुखहरण सिंह
4.			1512/03	0.0034	रविन्द्र कुमार पिता राजेन्द्र आचार्य
5.			1512/04	0.0048	सुभाष चन्द्र दुबे पिता स्व. राम लखन दुबे
6.			1512/17	0.0002	राजेन्द्र आचार्य पिता स्व. लक्ष्मण आचार्य
7.			1513/02	0.0116	रविन्द्र कुमार पिता राजेन्द्र आचार्य
8.			1513/04	0.0113	राजेन्द्र आचार्य पिता स्व. लक्ष्मण आचार्य एवं 01 अन्य
9.			1611/30	0.0115	संगीता बारेकर पति कमलेश बारेकर
10.			1611/31	0.0417	धर्मेन्द्र बंसल पिता स्व. गोविन्द दास बंसल
11.			1611/32	0.0772	प्रयाग बंसल पिता धर्मेन्द्र बंसल
12.			1611/33	0.0681	प्रकाश महोबिया पिता रामचरण महोबिया
13.			1611/34	0.110	संजय बुंदेला पिता निर्मल बुंदेला
14.			1611/35	0.0175	सविता महोबिया पति प्रकाश महोबिया
15.			1611/36	0.0372	धर्मेन्द्र बंसल पिता स्व. गोविन्द दास बंसल
16.			1611/37	0.107	धर्मेन्द्र बंसल पिता स्व. गोविन्द दास बंसल
17.			1611/38	0.110	शीतल बुंदेला पति संजय बुंदेला
18.			1611/39	0.106	प्रयाग बंसल पिता धर्मेन्द्र बंसल
19.			1611/41	0.0706	सुनीता बंसल पति धर्मेन्द्र बंसल

अतः अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला दुर्ग से अनुशंसा सहित प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उपरोक्त में अंकित खसरा नंबरों के खरीदी-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाता है।

कलेक्टर
दुर्ग

//2//

पृ. क्रमांक 809/भू.अभि./अवैध प्ला./2026
प्रतिलिपि :-

दुर्ग, दिनांक 10/06/2026

1. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर निगम, मिलाई नगर, जिला दुर्ग की ओर अवैध प्लाटिंग के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
4. मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला दुर्ग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अवैध प्लाटिंग के संबंध में नियमानुसार समस्त कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं।
6. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जिला दुर्ग छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
7. जिला पंजीयक/उप पंजीयक दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग, जिला दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
दुर्ग